B — कौशल एवं अवसर

RSETI — ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान

यह संस्थान क्या है

RSETI (ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान) एक आवासीय प्रशिक्षण केंद्र है जो बेरोज़गार ग्रामीण युवाओं को अल्पकालिक उद्यम कौशल सिखाता है, उन्हें स्व-रोजगार बनाने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ। नए RSETI की स्थापना एक व्यवहार्यता आकलन पर आधारित होती है, और एक RSETI एक से अधिक जिलों की सेवा कर सकता है — विशेष रूप से जहाँ जिले नए बनाए गए हैं अथवा छोटी आबादी वाले हैं। प्रत्येक RSETI को एक लीड बैंक प्रायोजित करता है (जिसे RBI — भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सौंपा जाता है); सामान्य लीड बैंकों में SBI (State Bank of India), PNB (Punjab National Bank), Bank of Baroda तथा Canara Bank सम्मिलित हैं। RSETI ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) तथा बैंकिंग प्रणाली की संयुक्त पहल हैं। पाठ्यक्रम निःशुल्क हैं, भोजन, आवास तथा सामग्री प्रदान की जाती है, जो एक से छह सप्ताह तक चलते हैं। प्रशिक्षण के बाद, RSETI स्नातकों को अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायता करता है। RSETI 2.0 सुधारों के अंतर्गत, प्रति संस्थान वार्षिक प्रशिक्षु लक्ष्य 750 से बढ़ाकर 1,000–1,200 उम्मीदवार किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 6–6.5 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना है।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और एक छोटा व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं किंतु आपके पास औपचारिक प्रशिक्षण अथवा पूँजी नहीं है, तो RSETI निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा फिर आपको आरंभ करने के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायता करता है। प्रशिक्षण सिलाई एवं खाद्य प्रसंस्करण से लेकर मोबाइल फ़ोन मरम्मत एवं डेयरी प्रबंधन तक सब कुछ कवर करता है।

प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
RSETI योजना दिशानिर्देश	ग्रामीण विकास मंत्रालय; RSETIs की स्थापना एवं संचालन
लीड बैंक योजना पर RBI मास्टर परिपत्र	प्रति जिला लीड बैंक उत्तरदायित्व सौंपता है
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR)	RSETIs के लिए प्रशिक्षण समर्थन एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS)

- **केंद्र:** ग्रामीण विकास मंत्रालय (नीति एवं आंशिक वित्त-पोषण) → NIRD&PR / भारतीय बैंक संघ (IBA) (समन्वय)
- **जिला:** RSETI निदेशक (लीड बैंक से प्रतिनियुक्ति पर बैंक अधिकारी)
- **निरीक्षण:** लीड बैंक मुख्यालय / आंचलिक कार्यालय; जिलाधिकारी कार्यालय
- **वित्त-पोषण:** मंत्रालय प्रति RSETI भवन हेतु 2 करोड़ रुपये का पूँजी अनुदान (RSETI 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये से बढ़ाया गया) तथा आवर्ती वार्षिक प्रशिक्षण अनुदान प्रदान करता है; लीड बैंक शेष परिचालन लागत वहन करता है

प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
RSETI निदेशक	2-3 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर बैंक अधिकारी; संस्थान चलाते हैं, प्रशिक्षुओं का चयन करते हैं, सेटलमेंट लक्ष्य प्राप्त करते हैं
संकाय / प्रशिक्षक	व्यवसाय विशेषज्ञता वाले बैंक स्टाफ़ अथवा संविदा प्रशिक्षक
फ़ॉलो-अप समन्वयक	प्रशिक्षुओं पर कम-से-कम 2 वर्ष तक नज़र रखते हैं: क्या उन्होंने व्यवसाय आरंभ किया, क्या उन्हें ऋण मिला
लीड बैंक प्रबंधक (जिला)	RSETI कार्यप्रणाली की निगरानी; जिला सलाहकार समिति (DCC) बैठकों में प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं

अनिवार्य सेवाएँ

- प्रशिक्षुओं की पहचान एवं संगठन के लिए गाँवों में Entrepreneurship Awareness Programmes (EAPs) संचालित करना; प्रत्येक प्रायोजक-बैंक अधिकारी से प्रति माह लगभग 5 EAPs संचालित करने की अपेक्षा है
- अभिक्षमता आकलन, व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा परामर्श का उपयोग करके उम्मीदवारों का सही व्यवसाय से मिलान करना, जिससे सेटलमेंट परिणाम बेहतर हों
- उम्मीदवारों की पहचान: RSETI 2.0 के अंतर्गत, पाठ्यक्रम निरक्षर / अर्ध-साक्षर स्व-सहायता समूह (SHG) सदस्यों को समायोजित करने के लिए पुनर्डिज़ाइन किए गए; डिफ़ॉल्ट पात्रता 18-45; ऊपरी आयु सीमा National Skills Qualifications Committee (NSQC)-अनुमोदित पारंपरिक-कौशल कार्यक्रमों के लिए केवल 50 तक बढ़ाई गई जो National Academy of RUDSETI (NAR) के माध्यम से संचालित हैं। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों, अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा SHG सदस्यों को प्राथमिकता
- भोजन, आवास तथा सामग्री सहित निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करना; पूरे वर्ष में औसत कार्यक्रम अवधि 15 दिनों से कम न रखना (कुल प्रशिक्षण दिन ÷ कार्यक्रमों की संख्या)
- कार्यक्रमों का व्यापक पोर्टफ़ोलियो प्रदान करना: खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई, सौंदर्य पार्लर, मोबाइल फ़ोन मरम्मत, विद्युत मरम्मत, डेयरी / मुर्गी पालन प्रबंधन, मधुमक्खी पालन, कंप्यूटर मूल बातें, तथा अन्य
- प्रशिक्षण में ऋण लिंकेज को निर्मित करना: प्रत्येक प्रशिक्षु पाठ्यक्रम के दौरान एक परियोजना रिपोर्ट एवं व्यवसाय योजना तैयार करता है; प्रशिक्षण के दौरान शाखा प्रबंधकों को आमंत्रित कर ऋण आवेदन भरे जाते हैं; RSETI प्रशिक्षुओं के लिए त्रैमासिक ऋण शिविर आयोजित किए जाते हैं
- प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग पर अनिवार्य सत्र सम्मिलित करना, तथा प्रशिक्षुओं को अपने उत्पादों के विपणन में सहायता करना
- जागरूकता, आउटरीच एवं सफलता की कहानियों के लिए आधिकारिक सोशल-मीडिया खाते बनाए रखना, जो ऑफ़लाइन संगठन से एकीकृत हों
- प्रत्येक प्रशिक्षु पर कम-से-कम 2 वर्ष तक नज़र रखना तथा सेटलमेंट दर मापना
- प्रशिक्षण-पश्चात सतत मार्गदर्शन प्रदान करना: ऋण आवेदन, व्यवसाय पंजीकरण, बाज़ार लिंकेज

संबंधित योजनाएँ

- **MUDRA (Micro Units Development & Refinance Agency: शिशु / किशोर / तरुण / तरुण प्लस)** — 50,000 रुपये से 20 लाख रुपये तक के सूक्ष्म-उद्यम ऋण
- **PMEGP (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम)** — विनिर्माण के लिए 50 लाख रुपये / सेवाओं के लिए 20 लाख रुपये तक के नए उद्यमों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी (15-35%)
- **DAY-NRLM (दीनदयाल अंत्योदय योजना — राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)** — ग्रामीण महिलाओं के लिए SHG गठन एवं बैंक लिंकेज
- **स्टैंड-अप इंडिया** — SC/ST एवं महिला उद्यमियों के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के ऋण (मूल योजना मार्च 2025 में समाप्त; पुनरुद्धरित योजना 16 मार्च 2026 को घोषित, अभी आरंभ नहीं हुई)

पता कैसे लगाएँ

पोर्टल: kaushal.rural.gov.in — दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) तथा RSETI के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का एकीकृत IT मंच। संस्थान-वार स्टाफ़िंग एवं अवसंरचना डेटा kaushal.rural.gov.in/#/rpt-rseti-profile-view पर उपलब्ध है

यह भी: जिला मुख्यालय में लीड बैंक शाखा अथवा जिलाधिकारी कार्यालय में पूछें — RSETI प्रदर्शन की समीक्षा जिला-स्तरीय बैठकों में होती है

प्रमुख सुविधाएँ

एक क्रियाशील RSETI में होना चाहिए: 30-60 प्रशिक्षुओं के लिए पुरुषों एवं महिलाओं हेतु अलग छात्रावासों सहित आवासीय सुविधा, विभिन्न व्यवसायों के लिए सुसज्जित 2-3 प्रशिक्षण कक्ष, रसोई एवं भोजन कक्ष, व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला / प्रयोगशाला स्थान, इंटरनेट सहित कंप्यूटर प्रयोगशाला, तथा निदेशक एवं संकाय के लिए कार्यालय स्थान। RSETI के अपने परिसर के अतिरिक्त, उसके वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का 25 प्रतिशत तक Community Managed Training Centres (CMTCs) पर ऑफ़-कैंपस संचालित किया जा सकता है। CMTCs को ऑफ़-कैंपस बैचों के लिए उपयोग करने से पहले RSETI 2.0 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम अवसंरचना चेकलिस्ट को पूरा करना होगा।

एक क्रियाशील RSETI कैसा दिखता है

- RSETI में वर्तमान में एक प्रशिक्षण बैच चल रहा है जिसमें प्रशिक्षु भौतिक रूप से उपस्थित हैं
- दर्ज प्रशिक्षु संख्याओं के साथ विगत 12 माह में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हुए हैं
- सेटलमेंट दर (व्यवसाय आरंभ करने वाले प्रशिक्षु) विशिष्ट आँकड़ों सहित ट्रैक की जाती है
- ऋण लिंकेज डेटा उपलब्ध है: कितने प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण मिले, कितनी राशि, किस योजना के माध्यम से
- प्रशिक्षु लक्ष्य समूह से मेल खाते हैं (ग्रामीण बेरोज़गार, BPL, SC/ST, महिलाएँ)
- फ़ॉलो-अप पंजी प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं पर नज़र रखते हुए दर्ज क्षेत्र-दौरों के साथ दिखाती है

शिकायत निवारण

प्रशिक्षण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु RSETI निदेशक होते हैं, जो प्रशिक्षु कल्याण, पाठ्यक्रम संचालन, तथा भोजन, आवास अथवा प्रशिक्षण गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों के लिए उत्तरदायी हैं।

प्रशिक्षण के बाद। प्रशिक्षण-पश्चात मामले — फ़ॉलो-अप, ऋण लिंकेज, प्रमाणन — का संचालन संस्थान में फ़ॉलो-अप समन्वयक करते हैं। अनसुलझे मुद्दों को लीड बैंक के जिला अग्रणी जिला प्रबंधक तक बढ़ाया जा सकता है, जो जिला सलाहकार समिति (DCC) बैठकों में RSETI प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं।

बाहरी। ग्रामीण विकास विभाग योजना-संबंधी शिकायतों के लिए write2rdminister.dord.gov.in पर एक समर्पित शिकायत पोर्टल संचालित करता है। सामान्य जन शिकायतें केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से pgportal.gov.in पर भी दर्ज की जा सकती हैं। RSETIs के लिए विशिष्ट बैंकिंग-संबंधी शिकायतें — ऋण अस्वीकृति, ऋण लिंकेज में विलंब, शाखा आचरण — RBI Integrated Ombudsman Scheme 2021 (cms.rbi.org.in पर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS) 2026 द्वारा प्रतिस्थापित) के अंतर्गत बैंकिंग ओम्बड्समैन तक बढ़ाई जा सकती हैं।

—-